International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2023; 3(1): 109-112
www.educationjournal.info
Received: 20-12-2022
Accepted: 29-01-2023

सरिता
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सामाजिक समावेशनः आवश्यकताएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान

सरिता

सारांश
भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज रहा है जिसमें परम्परागत रूप से सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। हमारे समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी वंचित हैं, जिनकी सामाजिक गतिविधियों में पर्याप्त भागीदारी नहीं है। वे अभी भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी प्रमुख सामाजिक गतिविधियों से मौटे रूप से बर्हिवेशित हैं। समाज में इन वंचित वर्गों की समुचित भागीदारी इन वर्गों के व्यक्तियों के स्वयं के विकास एवं साथ ही साथ देश के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन इन वंचित वर्गों के समुचित सामाजिक समावेशन की दिशा में बहुत सी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतीयों से कैसे निपटा जाए, इस संबंध में इस लेख में समाधान भी सुझाए गए हैं। इस लेख में सामाजिक समावेशन के अर्थ, उसकी आवश्यकताओं, चुनौतीयों एवं समाधान पर विमर्श किया गया है।

कूटशब्दः समावेशन, बर्हिवेशन, वंचित वर्ग, सशक्तीकरण, सहभागिता

प्रस्तावना
सामाजिक समावेशन एक व्यापक अवधारणा है इसके संबंध में द वर्ल्ड बैंक (The World Bank) ने स्पष्ट किया है कि यह उन शर्तों में सुधार की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति और समूह समाज में भागीदारी करते हैं एवं इन शर्तों की पहचान करके वंचितों की निरंतर क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक समावेशन एक प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहनी चाहिए। इस प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखने के लिए समाज के सभी वंचित वर्गों को बिना किसी भेदभाव के भागीदार बनाना चाहिए। सिल्वर (2015) ने भी सामाजिक समावेशन के संदर्भ में अपने महत्त्वपूर्ण विचार दिए हैं। इस संदर्भ में इनका विचार है कि अलग–अलग स्थानों के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, इतिहास, संस्थाएँ और सामाजिक संरचानाएँ भी भिन्न–भिन्न होती हैं और ये सभी उस स्थान या क्षेत्र के सामाजिक समावेश को प्रभावित करती हैं। इस तरह से सिल्वर स्थानिक विषमता का विचार सामाजिक समावेशन के संदर्भ में रखती हैं। इनका इस संबंध में तर्क है कि जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान का व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों एवं उसके पास उपलब्ध अवसरों दोनों पर असर पड़ता है। इनके विचार से स्पष्ट है कि सामाजिक समावेशन में क्षेत्रीय असमानता होती है।
भारतीय समाज परम्परागत रूप से पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक एवं जाति व्यवस्था आधारित रहा है। डॉ. दूबे (2005) ने भारतीय समाज के संबंध में लिखा है कि यह पितृसत्तात्मक हैं तथा इसमें पदानुक्रमता (Hierarchy) है। अधिकतर भारतीय समाज जाति आधारित उप–व्यवस्था के कारण पदानुक्रमता में विभाजित है। जाति व्यवस्था के कारण जन्म से ही सामाजिक स्टेट्स ऊँचा और नीचा बन जाता है। परम्परागत रूप से जातियाँ किसी पेशे से जुड़ी होती थी और दूसरे कार्य क्षेत्र उनके लिए वर्जित थे। पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान समाज में भी स्त्रियों पर बहुत सी पाबंदियाँ रही हैं और कुछ क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र नहीं रहे। डॉ. दूबे ने इस संदर्भ में 'पुरुषों के कार्य' एवं 'स्त्रियों के कार्य' स्पष्ट किए हैं कि कैसे परम्परागत रूप से गृहस्थी के प्रबंध का काम स्त्रियों का कार्य क्षेत्र रहा है, और घर से बाहर के कामकाज पुरुषों के कार्यक्षेत्र माने जाते हैं। हालांकि स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय समाज की इस स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जाति व्यवस्था से बाहर भी व्यक्तियों ने कार्य किए हैं एवं उनके लिए अवसर बने हैं। स्त्रियों की शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई हैं उनके कार्य क्षेत्र भी घर के बाहर बने हैं । परन्तु यह सब अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुषों का है जो कि असंतुलित है। लिंगानुपात में असमानता है।

सामाजिक समावेशन की आवश्यकताएँ
भारतीय समाज जैसा कि स्पष्ट है धर्म, जाति, आय, क्षेत्र, भाषा इत्यादि की दृष्टि से विविधतापूर्ण समाज है। समाज के बहुत से वर्ग सामाजिक गतिविधियों, कार्यप्रणालियों से पूर्णतया या आंशिक रूप से बर्हिवेशित हैं। उनकी समाज में पर्याप्त भागीदारी नहीं हैं और न ही पर्याप्त भागीदारी के अवसर उनके पास हैं। इस परिस्थिति में समाज के वंचित वर्ग अपने लिए एवं साथ ही साथ समाज व देश

के विकास तथा सशक्तीकरण में कुछ विशेष योगदान नहीं कर पा रहे हैं।

व्यक्ति के स्वयं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यकता

सामाजिक समावेशन किसी भी व्यक्ति के विकास, उन्नति एवं सशक्तीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी न केवल व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है अपितु उसके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। सामाजिक समावेशन व्यक्ति की स्वयं की उन्नति को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता गरिमा, उन्नति सभी उसके सशक्तीकरण को बढ़ाते हैं। अतः व्यक्ति के स्वयं के सशक्तीकरण के लिए उसका सामाजिक समावेशन आवश्यक है। आज भी भारतीय समाज के बहुत से व्यक्ति जो वंचित वर्गों चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, स्त्रियों, ग्रामीण क्षेत्र, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं बहुत सी सामाजिक गतिविधियों से बर्हिवेशित हैं। इन सबके विकास, उन्नति एवं सशक्तीकरण के लिए इन सबका सामाजिक समावेशन अत्यंत आवश्यक है।

परिवार के सशक्तीकरण के लिए आवश्यकता

सशक्त व्यक्ति ही सशक्त परिवार का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जब स्वयं आत्मनिर्भर, गरिमामय, शिक्षित होगा तभी उसका परिवार भी आत्मनिर्भर एवं सशक्त होगा। एक सशक्त एवं शिक्षित व्यक्ति, सम्पूर्ण परिवार को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास एवं योगदान देता है। एक सशक्त एवं शिक्षित स्त्री को तो भावी पीढ़ी की प्रगति के साथ सह–संबंधित करके देखा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर शिक्षा के अवसर स्त्री या पुरुष में से किसी एक तक सीमित रखने पड़े तो उसे स्त्री तक सीमित रखना चाहिए क्योंकि वह निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को इसे हस्तांतरित कर देगी।

समाज के सशक्तीकरण के लिए आवश्यकता

सामाजिक समावेशन जहाँ एक और व्यक्ति को सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है वहीं दूसरी और यही आत्मनिर्भर शिक्षित व्यक्ति समाज की प्रगति में अपना योगदान करेगा ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें व्यक्तियों के आपस में अनेक संबंध होते हैं और व्यक्ति अनेक अनौपचारिक रूपों में एक दूसरे से बँधे होते हैं। समाज का सशक्तीकरण उसके व्यक्तियों के सशक्तीकरण पर निर्भर होता है। शिक्षित, आत्मनिर्भर, उन्नतिशील व्यक्तियों एवं उनसे निर्मित समाज में एक सकारात्मक सहसंबंध देखा जा सकता है। व्याक्तियों का सशक्तीकरण उनके समुचित सामाजिक समायोजन पर निर्भर है।

अतः सामाजिक समायोजन एक सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला है।

देश के सशक्तीकरण के लिए आवश्यकता

सामाजिक समावेशन व्यक्ति, परिवार एवं समाज के सशक्तीकरण के साथ–साथ देश के सशक्तीकरण के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। एक समावेशी समाज समावेशी देश की पहचान है। एक समावेशी समाज में सभी वंचित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सहभागीता होती है, जिससे सभी वर्गों की आत्मनिर्भरता, समानता, गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। समावेशी देश में सभी वर्गों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे ऐसे वर्गों के विकास एवं प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सामाजिक समावेशन के जरिए एक सशक्त देश का निर्माण संभव होता है। सशक्त नागरिक सशक्त देश बनाते हैं। अतः देश के सशक्तीकरण हेतु सभी वंचित वर्गों का सामाजिक समावेशन अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक समावेशन के समक्ष चुनौतियाँ

हमारे देश में सभी वांचित वर्गों के सामाजिक समावेशन की अत्यधिक आवश्यकता है। इन वर्गों के सामाजिक समावेशन में बहुत सी समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं जिनके कारण इन वंचित वर्गों का पूर्णतया सामाजिक समावेशन नहीं हो सका है। सामाजिक समावेशन के समक्ष आ रही चुनौतीयों को विस्तारपूर्वक आगे विश्लेषित किया गया हैं।

लोगों में साक्षरता एवं शिक्षा की कमी

जनगणना के आँकड़ों (2011) के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 70:04 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत एवं स्त्रियों की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि अभी भी हमारी जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा निरक्षर है जिसमें स्त्रियों का प्रतिशत अधिक है। लोगों में साक्षरता की कमी, शिक्षा की कमी सामाजिक समावेशन की दिशा में एक चुनौती है। निरक्षर लोगों को, अशिक्षित व्यक्तियों को अपने अधिकार, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी समझ तुलनात्मक रूप से साक्षर एवं शिक्षित व्यक्ति की तुलना में कम पाई जाती है जो कि उनके सामाजिक समावेशन में बाधक है। साक्षरता एवं शिक्षा प्रगति, उन्नति एवं विकास की नई राह स्पष्ट करते हैं जिससे समाज की गतिविधियों में भागीदारी के अवसर बढ़ते हैं एवं इससे सामाजिक समावेशन में आसानी होती है। इससे स्पष्ट है कि लोगों में साक्षरता एवं शिक्षा की कमी सामाजिक समावेशन की राह में एक बड़ी चुनौती है।

लोगों में जागरुकता की कमी

लोगों में जागरूकता की कमी का होना भी सामाजिक समावेशन की राह में एक बड़ी चुनौती है। लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या जब निरक्षर है तब ऐसी स्थिति में उनमें अपने लिए उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं, नीतियों, कार्यक्रमों इत्यादि के प्रति जागरूकता की कमी का होना भी स्वाभाविक है। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता की कमी भी पाई जाती है। जागरुकता के अभाव में लोग अपने लिए उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते और सामाजिक रूप से बहुत से क्षेत्रों से बहिष्कृत रह जाते हैं। अतः लोगों में जागरुकता की कभी वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन में बहुत बड़ी चुनौती है।

समाज की संकीर्ण मानसिकता

भारतीय समाज परम्परागत रूप से पितृसत्तात्मक रहा है जिससे स्त्रियों के प्रति उनके कार्यक्षेत्र के प्रति कुछ परम्परागत अवधारणाएँ लोगों में बन गई थी जो अभी भी इक्कीसवीं शताब्दी में भी पूर्णतया नहीं टूटी हैं। स्त्रियों के प्रति ये परम्परागत अवधारणाएँ एवं मानसिकता कहीं न कहीं स्त्रियों के सामाजिक समावेशन में बाधक हैं। घर के बाहर के सभी क्षेत्रों में आज भी स्त्रियों की सहभागिता बहुत कम है। दूसरी ओर भारतीय समाज जाति व्यवस्था आधारित भी है। इसमें सामाजिक स्तरीकरण है और कुछ जातियाँ सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हैं। परम्परागत रूप से जातियों के अपने पेशे थे। आज उन परम्परागत पेशों की दीवार तो टूट चुकी है परन्तु अभी भी वंचित जातियों, जनजातियों के प्रति समाज में सोच पूर्णतया बदली नहीं है। यह संकीर्ण सोच वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन में बहुत बड़ी चुनौती है।

सुविधाओं की कमी

सुविधाओं की कमी भी सामाजिक समायोजन में बहुत बड़ी चुनौती है। गाँव एवं शहर के मध्य सुविधाओं में बहुत अन्तर है। भारत की दो तिहाई से भी अधिक जनसंख्या गाँवो में निवास करती है। गाँवों में शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत सुविधाओं का अभाव रहता है जो कि गाँवो में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक समायोजन में बाधक है। 2011 के जनगणना आँकडों के अनुसार भारत की 22 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबों में सुविधाओं की भारी कमी होती है जो उनके सामाजिक समायोजन में भी बाधक होती है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय समाज में सुविधाओं की दृष्टि से विषमता है जो कि वंचितों के पर्याप्त सामाजिक समावेशन में बाधक है।

पर्याप्त अवसरों का अभाव

भारतीय समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति, प्रगति, विकास हेतु समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इनके पास आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियाँ इन लोगों के बर्हिवेशन को और अधिक बढ़ाती हैं। आगे बढ़ने के, सहभागिता के अवसरों का अभाव समाज के सामाजिक समावेशन में एक बड़ी चुनौती है। अतः पर्याप्त अवसरों का होना आवश्यक है।

नीतियों के कार्यान्वयन में कमी

भारत में स्वतंत्रतोपरांत समावेशित समाज के निर्माण के लिए, सभी व्यक्तियों के समुचित समावेशन के लिए बहुत सी नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाई गई और लागू की गई। योजनाएँ सभी वंचित वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग, बालिकाएँ, स्त्रियाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इत्यादि से संबंधित रही हैं जो समाज में इन वर्गों की समुचित सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। योजनाओं के निर्माण स्तर पर योजनाएँ बहुत हैं परन्तु इनकी प्रभावशीलता उतनी नहीं दिखती। इसका प्रमुख कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी का है। योजनाओं को सही ढंग से लागू न कर पाना वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन में एक बड़ी चुनौती है। नीतियों को सही ढंग से लागू न कर पाना, जरूरतमंद तक उसकी पहुँच न होना, नीतियों के कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार इत्यादि प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जो इनकी प्रभावशीलता को कम करती हैं और वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन की राह में बाधक हैं।

सामाजिक समावेशन हेतु समाधान

स्पष्ट है कि वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन में बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। इन चुनौतीयों को दूर करके काफी हद तक वंचित वर्गों की समाज में पर्याप्त सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय समाज में सामाजिक वर्गों के समावेशन के संबंध में कुछ समाधान आगे सुझाए गए हैं जिनको अपनाकर सामाजिक समावेशन का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

लोगों में साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर को बढ़ाना

हमारे देश में लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है, जो उनके सामाजिक समावेशन में रूकावट है। स्त्रियों की साक्षरता की दर तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65 प्रतिशत है। इन अधिकांश निरक्षर एवं अशिक्षित लोगों की सामाजिक सहभागिता बहुत कम है। समाज में सामाजिक समावेशन बढ़ाने के लिए लोगों की साक्षरता के स्तर को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ उनको शिक्षित भी करना होगा। साक्षर एवं शिक्षित व्यक्ति के समाज में सहभागिता के अवसर बढ़ जाते हैं। शिक्षा न केवल उस व्यक्ति के स्वयं के सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देने में सहायक होती है अपितु उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के सामाजिक समायोजन में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहायक बनती है। अतः सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देना आवश्यक है।

लोगों में जागरुकता को बढ़ावा देना

हमारे समाज में लोगों में अपने लिए उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं, नीतियों कार्यक्रमों इत्यादि के बारे में जानकारी एवं जागरुकता की कमी हैं। वंचित वर्गों में अधिकतर ऐसा पाया गया है। जागरुकता की कमी के कारण लोग अपने लिए उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते और इस कारण समाज में उनकी पर्याप्त सहभागिता नहीं हो पाती। समाज में वंचित वर्गों के पर्याप्त सामाजिक समावेशन के लिए आवश्यक है कि लोगों में जागरुकता को बढ़ाया जाए।

समाज की संकीर्ण मानसिकता को दूर करना

परम्परागत रूप से पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण स्त्रियों के कार्यक्षेत्र संबंधी धारणाएँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित रखना, उनको परिवार के मान–सम्मान से जोड़कर देखना इत्यादि परम्परागत संकीर्ण मानसिकता है। यह मानसिकता स्त्रियों की सामाजिक सहभागिता में बाधक है और बहुत से सामाजिक क्षेत्रों से स्त्रियों के बर्हिष्करण का कारण भी है। स्त्रियों के सामाजिक समावेशन के लिए उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता का त्याग करना होगा। जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण है जिससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अनौपचारिक रूप से परिभाषित होती है। जाति के साथ परम्परागत रूप से पेशे भी जुड़े हुए हैं। आज जाति व्यवस्था की दीवारें टूट चुकी हैं परन्तु उनका कुछ प्रभाव अभी भी समाज में है जिसके कारण वंचित जातियों का अभी भी पर्याप्त सामाजिक समावेशन नहीं हुआ है। वंचित वर्गों के पर्याप्त सामाजिक समावेशन के लिए समाज में इनके प्रति व्याप्त संकीर्ण सोच को दूर करना आवश्यक है।

सुविधाओं की निर्बाध एवं निरन्तर आपूर्ति

भारत में सभी लोगों के पास पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। गाँव एवं शहर के मध्य सुविधाओं की दृष्टि से बड़ा अन्तर है। शहरों में तुलनात्मक रूप से गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ हैं। सुविधाओं की कमी सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। क्षेत्रीय असंतुलन के अतिरिक्त अमीर–गरीब के बीच की खाई भी उनके सामाजिक समावेशन को प्रभावित करती हैं। अमीरों की सामाजिक सहभागिता तुलनात्मक रूप से बेहतर है। भारतीय समाज में सुविधाओं की दृष्टि से व्याप्त विषमता को दूर कर सुविधाओं की निर्बाध एवं निरंतर आपूर्ति करनी चाहिए जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ाया जा सके।

अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता

भारतीय समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति, प्रगति, विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अवसरों की कमी इन व्यक्तियों के सामाजिक बर्हिवेशन का कारण बनते हैं। अतः समावेशित समाज के लिए, सभी वर्गों के समाज में समावेशन के लिए सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि इनसे सभी व्यक्तियों की समाज में पर्याप्त सहभागिता हो सके।

नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

भारत में स्वतंत्रतोपरांत सरकारों ने समावेशित समाज के निर्माण के लिए बहुत–सी नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाई और उनको लागू किया। इन योजनाओं का संबंध मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, स्त्रियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इत्यादि से रहा है। इनकी उन्नति, प्रगति एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए बनी योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तो बहुत बने परंतु इनका समुचित कार्यान्वयन न होने से ये वंचित वर्ग का समाज में पर्याप्त समावेशन नहीं कर सके। नीति निर्माण के साथ–साथ उसका कार्यान्वयन प्रभावी होना चाहिए। नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। नीति निर्माण के साथ–साथ प्रभावी कार्यान्वयन होगा तो वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। अतः नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाज विषमतापूर्ण समाज है। यहाँ सभी सामाजिक क्षेत्रों में सभी वर्गों की पर्याप्त सहभागिता नहीं है। वंचित वर्ग बहुत सी सामाजिक गतिविधियों से बर्हिवेशित हैं। इन वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन की आवश्यकता इनके स्वयं, परिवार, समाज एवं देश के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इन वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन में बहुत सी चुनौतियाँ हैं जैसे लोगों में साक्षरता एवं शिक्षा की कमी, जागरुकता की कमी, समाज की संकीर्ण मानसिकता, सुविधाओं की कमी, पर्याप्त अवसरों की कमी, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमी प्रमुख हैं। इन चुनौतीयों को दूर करने एवं सामजिक समावेशन हेतु कुछ समाधान हैं जैसे लोगों में साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, लोगों में जागरुकता को बढ़ावा देना, समाज की संकीर्ण मानसिकता को दूर करना, सुविधाओं की निर्बाध एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना, अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता, नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। इन समाधानों को अपनाने से सामाजिक समावेशन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ये समाधान वंचित वर्गों के सामाजिक समावेशन को निश्चित रूप से बढ़ावा देने वाले हैं। अतः कहा जा सकता है, कि देश के सशक्तीकरण के लिए सभी वंचित वर्गों का सामाजिक समावेशन आवश्यक हैं और इन दिशा में पहचानी गई चुनौतियाँ एवं उनके समाधान कारगर सिद्ध होने की संभावना रखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Census 2011. India https://www.census2011.co.in
2. National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21, (2022). Compendium of Fact Sheets, India and 14 States/UT's (Phase II), Ministry of Health and Family Welfare, Goverment of India, MOHEW https://main.mohfw.gov.in>...pdf
3. Profile-Literacy-Know India https://knowindia.india.gov.in.> lite...
4. Silver, Hilary, (2015). The Context of Social Inclusion, Department of Economics & Social Affairs, United Nations Secretariate, New York, USA. (DESA Working Paper No. 144, United Nations) un.org https://www.un.org>papers
5. Social Inclusion - World Bank https://www.worldbank.org>topic
6. The Report of the University Education Commission (December 1948 - August 1949) Vol. 1, Ministry of Education, Government of India (1962). The Radhakrishan Commission Report of 1948-49 Academics-india.com. https://www.academics-india.com>...
7. दूबे, श्यामाचरण, अनु. (वंदना मिश्रा). (2005). भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत.